



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र 1935 (श०)

(सं० पटना 253) पटना, सोमवार, 25 मार्च 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

25 मार्च 2013

सं० एल०जी०-१-२/२०१३/लेज़:१५—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 24 मार्च 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

बिहार विनियोग अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 1, 2013]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2012-13 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 14,99,14,96,000 (चौदह अरब निन्यानवे करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार) रूपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2012 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 14,99,14,96,000 (चौदह अरब निन्यानवे करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार) रूपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होंगे, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग-।—इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रैल, 2012 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची
(धारा एं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	51,93,26,000		51,93,26,000
		पूँजी			
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूँजी	3,49,000		3,49,000
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूँजी	15,52,01,000		15,52,01,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	54,00,000		54,00,000
		पूँजी			
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व		27,61,000	27,61,000
		पूँजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1,00,03,000		1,00,03,000
		पूँजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,43,34,35,000		1,43,34,35,000
		पूँजी	10,08,00,000		10,08,00,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व			
		पूँजी	7,39,93,78,000		7,39,93,78,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	16,28,17,000		16,28,17,000
		पूँजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	9,00,52,000		9,00,52,000
		पूँजी			
13	सूद भुगतान	राजस्व			
		पूँजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूँजी	20,84,72,000		20,84,72,000

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां		
			विहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व			
		पूँजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	50,59,36,000		50,59,36,000
		पूँजी			
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	5,00,04,000		5,00,04,000
		पूँजी	2,00,00,000		2,00,00,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	6,05,02,000		6,05,02,000
		पूँजी	89,00,00,000		89,00,00,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	1,60,00,06,000		1,60,00,06,000
		पूँजी			
22	गृह विभाग	राजस्व	8,34,87,000		8,34,87,000
		पूँजी			
23	उद्योग विभाग	राजस्व	18,26,87,000		18,26,87,000
		पूँजी			
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	12,00,00,000		12,00,00,000
		पूँजी			
25	सूचना प्रावेदिकी विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूँजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व			
		पूँजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व			
		पूँजी			

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	65,15,000		65,15,000
		पूँजी			
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	4,70,000		4,70,000
		पूँजी			
32	विधान मंडल	राजस्व			
		पूँजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	12,75,000		12,75,000
		पूँजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व		15,00,000	15,00,000
		पूँजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूँजी			
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व			
		पूँजी	1,000		1,000
38	निवंधन, उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग	राजस्व	2,41,000		2,41,000
		पूँजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	1,34,19,000		1,34,19,000
		पूँजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	40,66,000		40,66,000
		पूँजी			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व			
		पूँजी	2,00,00,000		2,00,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1,10,97,60,000		1,10,97,60,000
		पूँजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व			
		पूँजी	22,31,00,000		22,31,00,000

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां			
			विहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	6	
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	6,30,000		6,30,000	
		पूँजी				
47	परिवहन विभाग	राजस्व	99,00,000		99,00,000	
		पूँजी				
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व				
		पूँजी				
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व				
		पूँजी				
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व				
		पूँजी				
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व				
		पूँजी				
योग राजस्व			5,96,99,34,000	42,61,000	5,97,41,95,000	
योग पूँजी			8,80,88,29,000	20,84,72,000	9,01,73,01,000	
महायोग			14,77,87,63,000	21,27,33,000	14,99,14,96,000	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 253-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>